ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिकी/टीए/4730/2003/अलवर सरती बनाम रामनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ श्री शिखर अग्रवाल, सदस्य श्री पंकज नरूका, सदस्य उपस्थितः– श्री सुनील पारीक, अधिवक्ता अपीलार्थी। श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रत्यर्थी। –– निर्णय दिनांकः 18–09–19 यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत भू प्रबंध अधिकारी, पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा अपील सं0 23/2003 में पारित किए गए निर्णय दिनांक 17–09–2003 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी व बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व आक्षेपित निर्णय का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। वर्तमान अपील में वादीगण द्वारा बिश्वेदारी की भूमि संयुक्त परिवार की सम्पति होने के आधार पर वाद लाया गया है। हमारे समक्ष निर्णय का मुख्य बिन्दू यह है कि क्या वादीगण अपना अधिकार घोषित करवाने हेतु सक्षम है और बिना बंटवारा किए गए बेचान का वादी के अधिकारों पर कोई प्रभाव है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने अभिलेख के आधार पर यह निष्कर्ष अंकित किया है कि विवादित भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है, जिसमें	र

ख्तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/डिक्री/टीए/4730/2003/अलवर सरती बनाम रामनारायण	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उसका हिस्सा निहित है। इस भूमि के संबंध में जो बेचान प्रतिवादीगण के पक्ष में किया गया है वह वादीगण के हितों पर कोई प्रभाव नहीं रख सकता। यह विधिक सिद्धांत भी स्थापित है कि कृषि भूमि के संबंध में किया गया बेचान यदि बिना किसी अधिकार के किया गया है तो वह बेचान खातेदार के अधिकारों के विरूद्ध प्रभाव शून्य है। वर्तमान प्रकरण में दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों ने इसी विधिक सिद्धांत के आधार पर वादगणी का वाद डिक्री किया है, जिसमें किसी प्रकार की अभिलेखीय अथवा विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती। द्वितीय अपील का क्षैत्र सीमित है और इसके माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो में उस समय तक हस्तक्षेप किया जाना विधिसम्मत नहीं है जब तक यह निष्कर्ष अभिलेख के विपरीत न हो। इस प्रकरण में ऐसी कोई परिस्थिति अथवा साक्ष्य प्रकट नहीं होती, जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्षो को अभिलेख के विपरीत माना जा सके। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस द्वितीय अपील में सार नहीं पाते है, अतः द्वितीय अपील सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तामील एवं तकमील दाखिल दफ्तर हों। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (पंकज नरूका) सदस्य (शिखर अग्रवाल) सदस्य	